आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 26/2023–24

राज्य सरकार

–बनाम–

कृष्ण कुमार जयसवाल वगै0

–: आदेश :–

27.10.2023

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 2470/अप0शा0, दिनांक 10.07.2023 से रांगा थाना कांड संख्या 37/2023, दिनांक 23.04.2023, धारा–175/379/414 भा0द0वि0 एवं 21(ए)/21(6)/22, Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 & 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal mining) transporation & storage rule 2017 के अन्तर्गत जप्त (1) ट्रक संख्या– BR10G-5400, एवं (2) ट्रक संख्या– BR11GB-9457 एवं उसपर लोड स्टोन (चिप्स) सहित राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में यह है कि कांड के वादी बिभूति कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा दिनांक 23.04.2023 को समय 14:35 बजे रांगा थाना अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध पत्थर का उत्खनन एवं परिवहन करने वालो के विरूद्व औचक छापामारी रांगा थाना सशस्त्र पुलिस बल के साथ रांगा थाना अंतर्गत बरहेट–बरहरवा मुख्य मार्ग में मोदीकोला चौक आदि में की गई। जाँच के क्रम में पाया गया कि (1) ट्रक संख्या– BR10G-5400, (2) ट्रक संख्या– BR11GB-9457 को अवैध रूप से स्टोन चिप्स सहित पकड़ा गया। स0अ0नि0 ननका उरॉव, रांगा थाना द्वारा घटना स्थल पर मौजूद साक्षियों के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए उपरोक्त अवैध परिवहन एवं स्टोन चिप्स सहित जप्त किया गया तथा थाना प्रभारी, रांगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया, जिसके आधार पर कांड अंकित किया गया।

विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी को समाचार पत्रों से भी सुचित किया गया, परन्तु किसी भी तिथि पर विपक्षी उपस्थित नही हुआ है। अतः वाहनों को अवैध खनन के परिवहन में संलिप्त मानते हुए वाहनों को खनिज सहित राजसात करने का निर्णय लिया गया।

अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि रांगा थाना कांड संख्या 37/2023, दिनांक 23.04.2023, धारा–175/379/414 भा0द0वि0 एवं 21(ए)/21(6)/22, Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 & 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal mining) transporation &

storage rule 2017 के अन्तर्गत जप्त (1) ट्रक संख्या– BR10G-5400, एवं (2) ट्रक संख्या– BR11GB-9457 एवं उसपर लोड स्टोन (चिप्स) सहित को अवैध परिवहन कार्य में संलिप्त रहने के कारण राजसात करना उचित प्रतीत होता है।

Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM_{10} Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles"

1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के कण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.
2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
3	

अतः रांगा थाना कांड संख्या 37/2023, दिनांक 23.04.2023, धारा–175/379/414 भा0द0वि0 एवं 21(ए)/21(6)/22, Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 & 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal mining) transporation & storage rule 2017 के अन्तर्गत जप्त (1) ट्रक संख्या– BR10G-5400, एवं (2) ट्रक संख्या– BR11GB-9457 एवं उसपर लोड स्टोन (चिप्स) सहित को **The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, रांगा के उपस्थिति में उक्त वाहनों को एवं उसपर लोड स्टोन (चिप्स) सहित नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, रांगा को भेजें। पारित आदेश से विपक्षी को भी अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 13:55:33 +05:30
Location: 192.168.29.165